समापन भाषण

: माननीय सदस्यगण, चतुर्दश बिहार विधान सभा का द्वितीय सत्र दिनांक २७ फरवरी, २००६ से प्रारम्भ होकर आज दिनांक ०४ अप्रील, २००६ को समाप्त हो रहा है। इस सत्र में कुछ इक्कीस बैठकें हुई ।

भारत के महामहिम राष्ट्रपति डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम द्वारा बिहार विधान मंडल के सह-समवेत बैठक को दिनांक २८ मार्च, २००६ को सम्बोधित किया गया जो अतिमहत्वपूर्ण, अविस्मरणीय, गौरवपूर्ण एवं ऐतिहासिक क्षण था । महामहिम ने राज्य के विकास एवं २०१५ तक विकसित राज्य का स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से दस महत्वपूर्ण बिन्दुओं का एक मिशन के रूप में गंभीरतापूर्वक मंथन कर स्वीकार एवं अमल करने हेतु हमलोगों को प्रेरित किया है । माननीय मुख्यमंत्री ने महामहिम को विधान मंडल की ओर से तथा राज्य के तमाम नागरिकों की ओर से धन्यवाद दिया । इस स्वर्णीम अवसर का दूरदर्शन एवं आकाशवाणी द्वारा सीधा प्रसारण किया गया ।

इस सत्र के प्रथम दिन महामहिम राज्यपाल द्वारा दोनों सदनों के सह-समवेत अधिवेशन को सम्बोधित किया गया । तत्पश्चात् बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अध्यादेश, २००६ एवं बिहार पंचायती राज अध्यादेश, २००६ की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गई । पाँच जनप्रतिनिधियों के निधन पर शोक-प्रकाश किया गया ।

प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा दिनांक १ मार्च, २००६ को वित्तीय वर्ष २००६-२००७ के आय-व्ययक विवरणी तथा बिहार वित्त विधेयक,२००६ सदन में उपस्थापित किया गया । तत्पश्चात् प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग का बजट भाषण हुआ तथा वित्त विधेयक पर प्रकाश डाला गया ।

दिनांक ८ मार्च,२००६ को बनारस में आतंकवादियों द्वारा की गई कायरतापूर्ण कार्रवाई के कारण हताहत एवं मारे गये व्यक्तियों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए शोक-प्रकाश किया गया तथा आपसी सौहार्द एवं राष्ट्रीय एकता की भावना की अपील की गई ।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद का माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विस्तार से उत्तर दिया गया था तदुपरान्त प्रस्ताव सदन द्वारा पारित किया गया ।

वित्तीय वर्ष २००५-२००६ के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट पर सदन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई । वर्ष २००६-२००७ के लिए आय-व्यय विवरणी में सम्मिलित नौ अनुदानों की माँगों के विरूद्ध कटौती प्रस्ताव पर वाद-विवाद के उपरान्त सभा द्वारा माँगे स्वीकृत हुए । शेष अनुदान की माँगे मुखबंध द्वारा स्वीकृत किए गए । तदुपरान्त बिहार विनियोग विधेयक,२००६ सभा द्वारा स्वीकृत हुआ । प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ने इस दरम्यान सदन में परिणाम बजट भी प्रस्तुत किया ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के ३१ मार्च,२००५ को अन्त होने वाले वर्ष का प्रतिवेदन (सिविल एवं राजस्व प्राप्तियाँ) एवं वाणिज्यिक तथा बिहार सरकार के वित्त लेखे वर्ष २००४-२००५ एवं विनियोग लेखे वर्ष २००४-२००५ सदन के पटल पर रखा गया ।

बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के वर्ष २००६-२००७ के गठन के लिए अध्यक्ष, बिहार विधान सभा को प्राधिकृत करने के संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव पर सभा की सहमति हुई ।

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा राज्य की वित्तीय स्थिति एवं विकास पर श्वेत पत्र सदन में उपस्थापित किया गया ।

राजकीय विधेयक यथा (१) बिहार वित्त विधेयक २००६ (२)बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन विधेयक २००६ (३) बिहार विनियोग विधेयक २००६ (४) बिहार विनियोग (संख्या-२) विधेयक २००६ (५) पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक २००६ (६) बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक २००६ (७) बिहार क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक २००६ (८) बाँध सुरक्षा विधेयक २००६ (९) बिहार विधि-निरसन (जो आवश्यक अथवा सुसंगत नहीं रह गए हैं) विधेयक २००६ (१०)बिहार पंचायत राज्य विधेयक २००६ (११) बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) विधेयक २००६ (१२) बिहार सिंगल विण्डो क्लियरेंस विधेयक २००६ (१३) बिहार जलकर प्रबंधन विधेयक २००६ (१४) आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (एनेबलिंग) विधयक २००६ सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(क्रमशः)

इस सत्र में बिहार को विशेष दर्जा दिये जाने संबंधी प्रस्ताव पर भी विमर्श हुआ, जिसमें कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये तथा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया ।

सत्र के दौरान कुल-५८ गैर सरकारी संकल्प का प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिसमें सदन के लिए ५२ स्वीकृत हुआ एवं ६ अमान्य हुए । सदन में ३९ गैर सरकारी संकल्प का प्रस्ताव वापस लिया गया एवं १ अस्वीकृत हुआ । सदन में ७ गैर सरकारी संकल्प प्रस्ताव स्वीकृत किया गया तथा ५ गैर सरकारी संकल्प का प्रस्ताव व्यपगत हुए ।

विभिन्न प्रभारी मंत्रियों द्वारा अपने-अपने विभागों के प्रतिवेदन, बोर्ड एवं निगम तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों के वार्षिक प्रतिवेदन के साथ-साथ नियमावली की प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

सत्र के दौरान कुल-३२३८ प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई । उसमें कुल-२४६९ प्रश्न स्वीकृत हुए जिसमें ४९ अल्पसूचित प्रश्न, १७३७ तारांकित प्रश्न तथा ६८३ अतारांकित प्रश्न थे । इन स्वीकृत प्रश्नों में से २५९ प्रश्न उत्तरित हुए एवं ४३१ प्रश्नोत्तर सदन पटल पर रखे गये तथा २४ प्रश्न अपृष्ठ एवं १७५२ प्रश्न अनागत हुए ।

सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से जनहित के अनेक मामले सदन में उठाये गये ।

इस सत्र में कुल-५७४ निवेदन प्राप्त हुए उनमें से ४५२ स्वीकृत हुए एवं १२२ अमान्य हुए । कुल-१६५ याचिकाएँ प्राप्त हुई, जिनमें १३८ स्वीकृत एवं २७ अस्वीकृत हुई । इस सत्र में कुल ४२७ ध्यानाकर्षण सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें ३२ वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए, जिसमें से २८ पर सरकार द्वारा सदन में वक्तव्य दिये गये । शेष ३२६ सूचनाएँ लिखित उत्तर हेतु विभागों को भेजे गये एवं ७३ अमान्य हुआ । कतिपय ध्यानाकर्षण-सूचना, प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सुपुर्द किये गये ।

सत्र के सफल एवं शान्तिपूर्ण संचालन में माननीय मुख्यमंत्री, नेता विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष,प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों का मैं आभारी हूँ, जिनका भरपूर सहयोग मुझे प्राप्त हुआ । पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के रचनात्मक सहयोग के लिए मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित आरक्षी बल के जवानों ने जिस तत्परता,लगन एवं निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक किया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

(क्रमशः)

माननीय सदस्यगण,

मुझे दुःख के साथ सूचित करना पड़ता है कि बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष, श्री उदय नारायण चौधरी की धर्मपत्नी श्रीमती बेरोनिका चौधरी का असामयिक निधन आज सत्र के अन्तिम दिन दिनांक ०४.०४.२००६ को पटना स्थित उनके आवास पर हो गया है। स्वर्गीया चौधरी एक लम्बी अवधि से कैंसर रोग से आक्रांत थीं। स्वर्गीया चौधरी की मृतात्मा को ईश्वर चिर-शान्ति दें तथा व्यथित परिवार को इस पीड़ा को सहन करने हेतु बल प्रदान करें।

अब एक मिनट मौन खड़े होकर मृतात्मा की चिर-शान्ति हेतु ईश्वर से कामना करें।

(एक मिनट का मौन)

शोक संदेश संतप्त परिवार को भेज दी जायेगी।

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है।

.....